रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/परीक्षा/2020/769 **परीक्षार्थियों हेतु निर्देश** जबलपुर, दिनांक 03/09/2020

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, वल्लभ भवन, मंत्रालय, के आदेश क्रमांक– एफ 770–771/2020/3873 भोपाल दिनांक 13.08.2020 के परिप्रेक्ष्य में अपेन बुक पद्धति के तहत आयोजित होने वाली सत्र 2019–20 की परीक्षाओं हेतु परीक्षार्थी के लिये जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश–

1. विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त प्रारूप को डाउनलोड कर उसमें उल्लेखित सभी कॉलम की पूर्ति करने के उपरांत उसे अपनी उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में संलग्न होगा। मुख्य पृष्ठ सहित उत्तरपुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या 16 होगी। मुख्य पृष्ठ सहित उत्तरपुस्तिका ए–4 साईज कागज की हो।
2. परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर उत्तरपुस्तिका की कुल पृष्ठ संख्या (लिखित पृष्ठों की संख्या सहित) अंकित करेंगे।
3. उत्तरपुस्तिका के सभी पृष्ठों को इकट्ठा कर साइड से 01 उंगली बराबर मोड़कर ऊपर नीचे और बीच में 03 स्टेपल पिंन लगाकर उसे उत्तरपुस्तिका के रूप में बना लें।
4. शब्द सीमा सामान्यतः 250 शब्दों में होगी।
5. परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय–सारणी अनुसार प्रश्न–पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं कक्षावार, विषयवार प्रश्नपत्र S.I.S. (Student Information System) Link पर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
6. परीक्षार्थी उत्तर लिखने हेतु केवल काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे।
7. यदि प्रश्नपत्र का प्रारूप खंडों में विभाजित है– 'अ', 'ब', 'स' तो प्रत्येक के लिये नवीन पृष्ठ से उत्तर लिखना प्रारंभ किया जाये अर्थात् 'अ' खण्ड के उत्तर समाप्ति के उपरान्त खण्ड 'ब' के लिये नवीन पृष्ठ से लिखना प्रारंभ किया जाये एवं खण्ड 'स' के उत्तर नवीन पृष्ठ से प्रारंभ किया जाये।
8. उत्तरपुस्तिका स्वयं लिखित होनी चाहिये। स्वलिखित उत्तरपुस्तिका ना होने की स्थिति में परीक्षा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
9. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय अवधि में उत्तरपुस्तिका निकट के संग्रहण केन्द्रों में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि पश्चात् उत्तरपुस्तिका स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. परीक्षार्थी जिस जिले के महाविद्यालय में सम्मिलित हो रहे हैं उसी जिले के निर्धारित संग्रहण केन्द्र में उत्तरपुस्तिका जमा करेंगे।

    जिले के बाहर से परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थी अपने महाविद्यालय के जिले के अग्रणी महाविलय में डाक द्वारा निश्चित समय–सीमा में उत्तरपुस्तिका प्रेषित करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरपुस्तिका जमा करने संबंधी तिथि पृथक से जारी की जायेगी।
11. अग्रणी महाविद्यालय का डाक पता (पोस्टल एड्रेस) संबंधित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे।
12. संग्रहण केन्द्र की सूची अग्रणी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दी गई है।
13. स्वाध्यायी परिक्षार्थियों को असाइनमेन्ट का प्रश्न–पत्र संबंधित अग्रेषण केन्द्र/महाविद्यालय के पोर्टल/विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया जायेगा।
14. स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को S.I.S. (Student Information System) Link पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र को उत्तरपुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थल पर चस्पा करें अथवा स्टेपल करें।
15. परीक्षार्थियों को S.I.S. (Student Information System) Link के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो रही हो तो महाविद्यालय से प्राप्त करें या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित परीक्षा कन्ट्रोल रूप से संपर्क करें।
16. समस्त परीक्षार्थियों को मुख्य पृष्ठ पर अंकित परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
17. समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर सूचना जारी की जायेगी। विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.rdunijbpin.org का अवलोकन करते रहें।

3/9

परीक्षा नियंत्रक
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर